बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 318608 पटना, दिनांक- 24/7/17

ग्रा0वि0- 5 /आधार (परि0)-14-11/2017

प्रेषक,

कनक बाला,

उप सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,

बिहार ।

विषय : आधार परियोजना अंतर्गत पंजीकरण केन्द्रों के भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण के संबंध में ।

प्रसंग : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-4(4)/57/249/2014 E&U, दिनांक-20.06.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक कार्यालय ज्ञापन (प्रति संलग्न) के कंडिका 5 के आलोक में कहना है कि सभी निबंधकों को उनके अधीन कार्यरत पंजीकरण एजेंसियों के सभी आधार पंजीकरण केन्द्रों का भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण कराया जाना है, जिससे कि वैसे पंजीकरण केन्द्रों को बन्द किया जा सके, जिन पंजीकरण केन्द्रों द्वारा पंजीकरण में अनियमितता बरती जा रही है ।

विषयाधीन कार्यालय ज्ञापन के द्वारा ऑपरेटरों के द्वारा आधार पंजीकरण के लिए पैसे की मांग तथा आधार आधारित अन्य सेवाओं हेतु भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण. के द्वारा निर्धारित दर से अधिक शुल्क/ राशि की मांग की स्थिति में तथा, ऑपरेटरों के द्वारा बायोमैट्रिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए पंजीकरण की स्थिति में आर्थिक दंड आरोपित किया जाना संसूचित किया गया है ।

विदित हो कि राज्य में राज्य पंजीयक (ग्रामीण विकास विभाग) तथा अन्य पंजीयक के अधीन अंतर्गत बहुत सारी पंजीकरण एजेंसियॉ आधार पंजीकरण एवं आधार आधारित सेवाओं को उपलब्ध करा रही हैं । विभागीय पत्र संख्या-311791, दिनांक-29.05.2017 (प्रति संलग्न) के द्वारा राज्य निबंधक (ग्रामीण विकास विभाग) के अंतर्गत स्थायी आधार पंजीकरण केन्द्रों (PEC) के भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण हेतु विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है । इससे संबंधित प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है ।

प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के आलोक में आधार की गोपनीयता तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये आधार पंजीकरण केन्द्रों पर सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहे, इसके लिए आवश्यक है कि केवल सरकारी परिसरों में

आधार पंजीकरण का कार्य किया जाय, एतद् संबंधी अनुरोध मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली, भारत सरकार से प्राप्त हुआ है।

अत: निदेशानुसार अनुरोध है कि अपने-अपने जिला में सभी आधार पंजीकरण केन्द्रों का भौतिक सत्यापन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक: यथोक्त ।

विश्वासभाजन

24/7/17

(कनक बाला)

उप सचिव

ज्ञापाक---318608---------- पटना, दिनांक---24/7/17----------

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित ।

24/7/17

उप सचिव

ज्ञापांक---318608---------- पटना, दिनांक---24/7/17----

प्रतिलिपि:- सहायक महानिदेशक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), ललित भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/7/17

उप सचिव

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 311791 पटना, दिनांक- 29/5/17

ग्रा.वि.-5/आधार (पी0ई0सी0)-14-14/2016

प्रेषक,

राधाकिशोर झा,
विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय :- आधार परियोजना अन्तर्गत स्थायी पंजीकरण केन्द्रों (PEC) के भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण प्रतिवेदन भेजने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सभी जिला मुख्यालय, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, नगर निकाय एवं अन्य स्थलों पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चयनित एजेंसियों के माध्यम से स्थायी आधार केन्द्र स्थापित करने हेतु कार्यादेश विभाग द्वारा निर्गत किया गया था, जिसके आलोक में सभी जिलों को स्थल एवं विधुत आपूर्ति कराने का निदेश दिया गया था । उक्त के आलोक में सभी जिलों में आधार स्थायी केन्द्र चयनित एजेसियों के माध्यम से अबतक लगभग 608 केन्द्र स्थापित किये जा चुके है । किन्तु पोर्टल से प्राप्त प्रतिवेदन एवं एजेंसियों द्वारा दिये जा रहे प्रतिवेदन में विभिन्नता पाई जाती है । कई स्थलों के विषय में एजेंसी द्वारा शिकायत की जाती है कि वह उपयुक्त नहीं है ।

अत: विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि इन एजेसिंयों द्वारा स्थापित केन्द्रों के सत्यापन एवं निरीक्षण जिलों में जिला स्तर के पदाधिकारी द्वारा कराते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर भेजना सुनिश्चित किया जाय । जॉच हेतु चेकलिस्ट संलग्न कर भेजी जाती है । निरीक्षण कम से कम 40% केन्द्रों का कराया जाय । विभाग स्तर से भी निरीक्षण दल औचक निरीक्षण हेतु जिलों में जायेगें, जिनका कार्यक्रम एक दिन पूर्व बताया जाएगा ।

अनु0:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(राधाकिशोर झा)
विशेष सचिव

ज्ञापांक 311791 पटना, दिनांक 29/5/17

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ग्रा० वि०-5/आधार (पी०ई०सी०)-14-14/2016

विशेष सचिव

ज्ञापांक 311791 पटना, दिनांक 29/5/17

प्रतिलिपि:- श्री राजेश कुमार सिंह, सहायक महानिदेशक UIDAI, कैम्प कार्यालय बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विशेष सचिव

F.No.4 (4)/57/249/2014-E&U
Government of India
Ministry of Electronics and IT
Unique Identification Authority of India
****

2nd Floor, Tower-1, Jeevan Bharti Building
Connaught Circus, New Delhi-110 001
Dated: 20th June,2017

Office – Memorandum

Sub:- **Containing of (i) corrupt practices by enrolment operators and (ii) bypassing of biometric capture/ authentication during enrolment by them.**

Ref.: O.M. No. 4(4)/249/2014/Vol.II dated 13/12/2016

In view of number of complaints regarding enrolment centre demanding money for enrolment or overcharging for other Aadhaar related services etc. a fine of Rs. 10,000/- per such incident of corruption was introduced vide OM referred above.

2. However, it is noticed that despite introduction of aforesaid fine incidents of such cases are still coming into notice in large number. Hence, it has been decided to increase the rate of fine of Rs. 10,000/- to **Rs. 50,000/-** per incident.

3. Also, various incidents have come into notice wherein the operators have carried out enrolment by bypassing the biometric capture/ validation required by the operator before carrying out enrolment /update. In order to contain this, it has been decided to impose a fine of **Rs. 100,000/-** per enrolment machine found to be bypassing the operator's biometrics.

4. The above rates will be effective from 1st July,2017.

5. In view of above, Registrar/ Enrolment Agencies are advised to physically verify their enrolment centers and close down centers which are indulged in either corrupt practices or their operators are bypassing their biometrics during enrolment.

6. The above financial disincentives may be deemed to be part of (i) MoU signed with Registrars and (ii) terms and conditions of empanelment of EAs. In case of disagreement with same, a Registrar/ EA may opt out from the ecosystem for which it may send an intimation to UIDAI within 10 days of issue of this OM. If they continue as UIDAI Registrar / EA it would be assumed that they have accepted the above financial disincentives.

7. This issues with the approval of CEO, UIDAI.

(Ashok Kumar)
Assistant Director General

To,

1. All the UIDAI Registrars.
2. All the enrolment agencies.

Copy to :-

1. All the UIDAI Regional offices.
2. Tech Center Bangalore.